



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255306
CG-DL-E-10072024-255306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]
No. 500]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2024/आषाढ 18, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2024/ASHADHA 18, 1946

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भविष्य निधि विभाग)
(प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2024

फा.सं. पी.एस.बी./पी.ई.एन./अमेंड/1/2024(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से एतद्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कार्मिक) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

- (1) इन विनियम को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कार्मिक) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कार्मिक) पेंशन विनियम, 1995 (एतदपश्चात् उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) में, विनियमन 2 के खंड (एस) के उप-खंड (डी) में, निम्नलिखित परंतुक अंतर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात: -
“बशर्ते कि 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी विशेष भत्ते को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि कोई कार्मिक जो 1 नवंबर, 2017 को बैंक सेवा में था और जिसकी स्थिर वेतन वृद्धि(stagnation increment) को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तिथि से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः समायोजित किया गया है, पेंशन प्रयोजनों के लिए 1 नवंबर, 2017 से इस प्रकार के संशोधित स्थिर वेतन वृद्धि(stagnation increment) के लिए अनुमानिक रूप से पात्र होगा, लेकिन इस प्रकार के पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, इनमें से जो भी बाद में हो, से देय होगा।”

3. उक्त विनियम के विनियमन 22 के उप-विनियमन (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :

“बशर्ते कि किसी कार्मिक, जो बैंक सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कार्य पर या वेतनमान पर स्थायी आधार पर अंशकालिक कार्य पर कामगार के रूप में नियोजित है, की पदच्युति पर उसकी संपूर्ण विगत सेवा समपहरण नहीं होगी और वह पेंशन संबंधी लाभ हेतु पात्र होगा।”

4. उक्त विनियम के विनियमन 36 के खंड (एफ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :

“(जी) यदि कार्मिक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, अंशकालिक कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कार्मिक के संबंध में तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये प्रतिमाह, यदि अंशकालिक कार्मिक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, वेतन के 1/3 वेतनमान के अंशकालिक कार्मिक के संबंध में एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रतिमाह, 1/2 वेतनमान के अंशकालिक कार्मिक के संबंध में दो हजार रुपये प्रतिमाह और वेतन के 3/4 वेतनमान अंशकालिक कार्मिक के संबंध में तीन हजार रुपये प्रतिमाह।”

5. उक्त विनियम के विनियमन 40 में, -

(a) उप-विनियमन (1) में, -

(i) खंड (बी) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : -

“बशर्ते कि पुत्र या पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय कुटुंब पेंशन तब बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र पुत्र या पुत्री, शासकीय या निजी क्षेत्र में रोजगार से या स्वरोजगार से प्रतिमाह बारह हजार रुपये से अधिक की राशि अर्जित करना आरंभ कर दे।”;

(ii) खंड (सी) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : -

“(सी) माता-पिता के मामले में, कुटुंब पेंशन तब बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की शासकीय या निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्व-रोजगार से कुल आय प्रतिमाह बारह हजार रुपये से अधिक हो।”;

(b) उप-विनियमन (4) में, -

(i) खंड (ए) में, उपखंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात : -

“(vii) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में प्रतिमाह छब्बीस हजार पाँच सौ साठ रुपये मात्र :

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और कार्मिकों की उपर्युक्त समस्त श्रेणी के लिए दोनों पेंशन की राशि, विनियमन 39 के उप-विनियमन (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।” ;

(ii) खंड (बी) में, उपखंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात : -

“(vii) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में प्रतिमाह छब्बीस हजार पाँच सौ साठ रुपये मात्र :

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और कार्मिकों की उपर्युक्त समस्त श्रेणी के लिए दोनों पेंशन की राशि, विनियमन 39 के उप-विनियमन (1) अथवा उक्त विनियमन के उप-विनियमन (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी। जैसा भी मामला हो”;

(iii) खंड (सी) में, उपखंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित उपखंडों को अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात : -

“(vii) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्मिक, अधिकारी और कामगार दोनों के संबंध में तेरह हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र :

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं रहेंगे और कार्मिकों की उपर्युक्त समस्त श्रेणी के लिए दोनों पेंशन की राशि, विनियमन 39 के उप-विनियमन (1) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।” ;

6. उक्त विनियम की परिशिष्ट -II में, खंड (4) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में, श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में महंगाई राहत 2288 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में इस प्रकार की वृद्धि या ह्रास की गणना, मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी :

बशर्ते कि 1 मई, 2005 से, उन कार्मिकों के संबंध में जो 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद किंतु 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, इस खंड की शर्तों के अनुसार महंगाई राहत देय होगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में, श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में महंगाई राहत 2836 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में इस प्रकार की वृद्धि या ह्रास की गणना, मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में महंगाई राहत 4440 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में इस प्रकार की वृद्धि या ह्रास की गणना, मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी :

बशर्ते यह भी कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में, श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में महंगाई राहत 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी। प्रत्येक 4 अंक के लिए महंगाई राहत में इस प्रकार की वृद्धि या ह्रास की गणना, मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी।”

7. उक्त विनियम के परिशिष्ट III में, खंड (एफ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तर्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात :-

“(जी) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कार्मिकों के अतिरिक्त कार्मिकों (अधिकारी और कर्मचारी दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक कुटुंब पेंशन की राशि (2)
₹15,880 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और अतिरिक्त 30 प्रतिशत भत्ता जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाती है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम ₹3985 प्रतिमाह के अधीन होगा।
₹15,881 से ₹31,760	वेतन का 20 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और अतिरिक्त 20 प्रतिशत भत्ता जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाती है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम ₹4900 प्रतिमाह के अधीन होगा।
₹31,760 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल कुटुंब पेंशन होगी और अतिरिक्त 15 प्रतिशत भत्ता जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान हेतु की जाती है किंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होगी:

	बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का योग न्यूनतम ₹6365 प्रतिमाह और अधिकतम ₹13280 प्रतिमाह के अधीन होगा।
--	--

(एच) 1 अप्रैल, 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं रहेंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित समस्त कार्मिक (अधिकारी और कामगार दोनों) के संबंध में, वेतन का 30 प्रतिशत, मूल कुटुंब पेंशन होगा और भत्ते का 30 प्रतिशत जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान करने हेतु की जाती है लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त कुटुंब पेंशन होंगे।”

व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों और शीर्ष स्तरीय कर्मचारी संघों एवं अधिकारियों के संघों के द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौतों और संयुक्त नोटों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एस.वी.एम.कृष्णाराव, (महाप्रबंधक - मासंवि)

[विज्ञापन-III/4/असा./269/2024-25]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या पीएसबी/कार्मिक/पेंशन/1995, दिनांकित 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या पीएसबी/पेंशन/संशोधन/1/2023, दिनांकित 03.08.2023 के माध्यम से अंतिम बार इसमें संशोधन किया गया था।

PUNJAB AND SIND BANK

(Provident Fund Department)

(Head Office: New Delhi)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2024.

F.No. PSB/PEN/AMEND/1/2024(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Punjab and Sind Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab and Sind Bank (Employees’) Pension Regulations, 1995, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Punjab and Sind Bank (Employees’) Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab and Sind Bank (Employees’) Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: —

“Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided also that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay, shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later.”.

3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits.”.

4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

“(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017.”.

5. In regulation 40 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), —

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment.”;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or private sector or self-employment, exceeds rupees twelve thousand per month.”;

(b) in sub-regulation (4),—

(i) in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

(ii) in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

(iii) in clause (c), after sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

“(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said Regulations, for clause (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440

points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension.”.

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	(2)
Upto Rs.15,880	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowance, which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs.15,881 to Rs.31,760	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs.31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances, which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month.

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent. of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent. of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension.”.

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

S.V.M. KRISHNARAO, (General Manager - HRD)

[ADVT.-III/4/Exty./269/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* notification number PSB/STAFF/PENSION/1995, dated the 29th September, 1995 and lastly amended *vide* notification number PSB/PEN/AMEND/1/2023, dated the 3rd August, 2023.